राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शिवगंज, जिला सिरोही

क्रमांक / भू.राजस्व / क.रा. / 2024 / दिनांकः– 11.12.2024

–::आदेश::–

यतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 130, 131 एवं 136 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का एक प्रस्ताव तहसीलदार शिवगंज के पत्रांक / राजस्व / 2024 / 1618 दिनांक 10.12.2024 द्वारा हाजा कार्यालय में प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित कदीमी रास्ते का विवरण निम्न अनुसार है:–

क्र. स.	ग्राम झाडोलीवीर के खसरा नम्बर	निजी / राजकीय	खसरा नम्बर से गुजरने वाले रास्ते की लम्बाई व चौड़ाई	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा	अन्य कोई विशेष विवरण
1	779 / 1	राजकीय	13.5003 हैक्टयर	0.2646 हेक्टयर	–
2	780	राजकीय	0.8417 हैक्टयर	0.0666 हैक्टयर	–
3	690 / 1	राजकीय	44.6853 हैक्टयर	1.3941 हैक्टयर	–

यतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 130, 131 एवं 136 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की शक्तियां लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर को प्रदत्त है। लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की शक्तियां संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रत्योजित की गई हैं।

अतः लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर की शक्तियों के अन्तर्गत उक्त कदीमी रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार, शिवगंज उक्त प्रस्तावित कदीमी रास्ते को मुताबिक मौका राजस्व रिकॉर्ड में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 130, 131 एवं 136 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार अंकन कर अनुपालना रिपोर्ट अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि उक्तानुसार प्रस्तावित कदीमी रास्ता मुतागिक हाल राजस्व रिकॉर्ड अनुसार मौके पर प्रतिबंधित श्रेणी या वन विभाग की भूमि से होकर गुजर रहा है तो मुताबिक मौका राजस्व रिकॉर्ड मे पृथक से तितम्बा काटकर अलग खसरा संख्या प्रदर्शित कर खसरे की भूमि किस्म में बिना किसी प्रकार का परिवर्तन किये राजस्व रिकॉर्ड में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 130, 131 एवं 136 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार अंकन कर अनुपालना रिपोर्ट अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– कदीमी रास्ते के स्वीकृत प्रस्ताव का नक्शा।

(नीरज मिश्र, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (सिरोही)
दिनांकः– 11.12.2024

क्रमांक / भू.राजस्व / क.रा. / 2024 / 636

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय सिरोही।
2. तहसीलदार, शिवगंज जिला सिरोही।
3. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.09 17:26:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज
शिवगंज (सिरोही)